फाईल सं.- ई-11011/1/2024-ओएल-डीएआरपीजी-8592
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
(राजभाषा प्रभाग)

छठा तल, जवाहर व्यापार भवन,
जनपथ, नई दिल्ली- 110001
दिनांक: 03 मई, 2024

कार्यालय आदेश

विषय: सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में किए जाने के लिए अनुभागों को विनिर्दिष्ट करना।

राजभाषा नियम, 1976 के उपनियम 12 के अंतर्गत कार्यालयाध्यक्ष का दायित्व है कि वह अपने विभाग में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के क्रम में राजभाषा नीति से संबंधित अधिनियमों, नियमों और राष्ट्रपति महोदय के आदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करे।

2. यह कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित है। इस कार्यालय के 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है/वे हिन्दी में कार्य करने में प्रवीण हैं। इस कार्यालय के हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना शत-प्रतिशत सरकारी कार्य, हिन्दी में किया जाना अपेक्षित है। विभाग के हिन्दी में प्रवीण अधिकारियों द्वारा अपना-अपना सरकारी कार्य, शत-प्रतिशत हिन्दी में किए जाने के संबंध में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत सचिव महोदय के हस्ताक्षर से वैयक्तिशः आदेश भी जारी किए गए हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में विभाग के प्रशासन-I अनुभाग और लोक शिकायत प्रभाग को अपना सम्पूर्ण सरकारी कार्य हिन्दी में किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि दोनों प्रभाग/अनुभाग अपना समस्त सरकारी कार्य हिन्दी में ही करें और इन आदेशों का पूर्ण अनुपालन भी सुनिश्चित करें।

(एनबीएस राजपूत)
संयुक्त सचिव (प्रशा.)

सेवा में,

1. प्रशासन-I अनुभाग
2. लोक शिकायत (पीजी) प्रभाग